न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारीः—**(दिव्या) RAS**

प्रकरण संख्याः—39 / 2024

वादपत्र अन्तर्गत धाराः— 88, 53 आर.टी.ए.

हरजोगिन्द्र सिंह पुत्र हरदेव सिंह जाति जटसिख निवासी मानुका तहसील व जिला हनुमानगढ (राज.)

—: वादी

बनाम्

1 धीरा पुत्र महेन्द्र सिंह जाति जटसिख निवासी मानुका तहसील व जिला हनुमानगढ़।
2. रामसिंह पुत्र जीतसिंह जाति जटसिख निवासी हिरणावाली तहसील व जिला हनुमानगढ़।
3 सतनाम सिंह पुत्र जीत सिंह जाति जटसिख निवासी हिरणावाली तहसील व जिला हनुमानगढ़।
4 अशोक कुमार पुत्र लाधूराम जाति जाट निवासी मानुका तहसील व जिला हनुमानगढ़।
5 दयाराम पुत्र पुत्र लाधूराम जाति जाट निवासी मानुका तहसील व जिला हनुमानगढ़।
6 इन्द्रादेवी पुत्री लाधूराम जाति जाट निवासी मानुका तहसील व जिला हनुमानगढ़।
7 सतनाम सिंह पुत्र जंगसिंह जाति जटसिख निवासी मानुका तहसील व जिला हनुमानगढ़।
8 गुरमीत सिंह पुत्र बलदेव सिंह पुत्र इन्द्र सिंह जाति जटसिख निवासी घंटियावाली तहसील अबोहर जिला फाजिल्का पंजाब।
9 गुरदीप सिंह पुत्र भूरासिंह पुत्र महेन्द्र सिंह जाति जटसिख निवासी 22 एमएमके हिरनावाली तहसील व जिला हनुमानगढ।
10 मलकीत सिंह पुत्र भूरासिंह पुत्र महेन्द्र सिंह जाति जटसिख निवासी 22 एमएमके हिरनावाली तहसील व जिला हनुमानगढ।
11 रमेश सिंह पुत्र भूरासिंह पुत्र महेन्द्र सिंह जाति जटसिख निवासी 22 एमएमके हिरनावाली तहसील व जिला हनुमानगढ।
12 जगसीर सिंह पुत्र बलकरण सिंह पुत्र महेन्द्र सिंह जाति जटसिख निवासी 22 एमएमके हिरनावाली तहसील व जिला हनुमानगढ।
13 स्वर्ण सिंह पुत्र बलकरण सिंह पुत्र महेन्द्र सिंह जाति जटसिख निवासी 22 एमएमके हिरनावाली तहसील व जिला हनुमानगढ।
14 गुरमीत सिंह पुत्र भगवान सिंह पुत्र महेन्द्र सिंह जाति जटसिख निवासी 22 एमएमके हिरनावाली तहसील व जिला हनुमानगढ।
15 तरसेम सिंह पुत्र गुरचरण सिंह पुत्र महेन्द्र सिंह जाति जटसिख निवासी 22 एमएमके हिरनावाली तहसील व जिला हनुमानगढ।
16 अंग्रेज सिंह पुत्र गुरचरण सिंह पुत्र महेन्द्र सिंह जाति जटसिख निवासी 22 एमएमके हिरनावाली तहसील व जिला हनुमानगढ।
17 सुखपाल सिंह पुत्र मेवासिंह जाति जटसिख निवासी मलूकपुरा तहसील अबोहर जिला फाजिल्का पंजाब।
18 गुरदास सिंह पुत्र मेवासिंह जाति जटसिख निवासी मलूकपुरा तहसील अबोहर जिला फाजिल्का पंजाब।
19 ऑबीसी बैंक शाखा धोलीपाल तहसील व जिला हनुमानगढ।
20 तहसीलदार (राजस्व) हनुमानगढ।

— प्रतिवादीगण

उपस्थित :—

1. श्री सुरेन्द्र सिहाग — अधिवक्ता वादी
2. श्री भीम खिलेरी — अधिवक्ता प्रतिवादी सं. 1 से 18
3. राजपैरोकार प्रतिवादी सं. 28

Signature Not Verified
Digitally signed by Divya
Date: 2024.04.05 19:33:50 IST
Reason: SelfAttested

—:निर्णयः—

दिनांक .....

अधिवक्ता वादी द्वारा यह राजस्व वादपत्र अन्तर्गत धारा 88, 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अन्तर्गत प्रस्तुत किया जिसके अनुसार यह कि यह कि वादी के नाम चक 21 एमएमके खाता सं. 114/84 में 1.7710 है. व इसी चक के खाता सं. 10/7 संयुक्त खाता में 2.530 है. व इसी चक के खाता सं. 50/37 में 3.036 है. संयुक्त खाता में दर्ज रिकार्ड है। नकल जमाबंदी संलग्न वाद पत्र है।

यह है कि उक्त वर्णित भूमि मुझ वादी व प्रतिवादी सं. 1 ता 7 के कब्जा काश्त में है, राज्य सरकार द्वारा ऑनलाइन जमाबंदी करने के दौरान खाता सं. 10/7 को अपवादित खातों की श्रेणी में दर्ज कर दिया गया क्योंकि खाता सं. 10/7 में इन्द्रसिंह जोगेन्द्र सिंह मेवासिंह व महेन्द्र सिंह के पास कोई भूमि इन खातों में दर्ज नहीं है इस कारण खाता अपवादित की श्रेणी में आने के कारण मुझ वादी व प्रतिवादीगण सं. 1 ता 7 अपनी खातेदारी भूमि का का पूर्ण उपयोग व उपभोग से वंचित होते है। अतः वाद वादी घोषणा प्राप्त करने का अधिकारी है कि उक्त खाता से इन्द्रसिंह, जोगेन्द्रसिंह, मेवासिंह, व महेन्द्र सिंह का नाम कलमजन किए जावें।

यह है कि मुझ वादी व प्रतिवादी ने अपनी काश्त की सुविधा अनुसार काफी अरसा पूर्व बंटवारा कर लिया था उसी रोज से मुताबिक विभाजन के काश्त कर रहे है परन्तु अभी तक खाता सांझा होने के कारण मुझ वादी व प्रतिवादी का आपस में सींवबंट रकमराज आदि को लेकर विवाद बना रहता है। अतः वादी अपनी संयुक्त खाता भूमि अपने बंटवारें अनुसार अलग खाता कायम करवाने का अधिकारी है। मुझ वादी एवं प्रतिवादीगण का कब्जा काश्त भूमि का विवरण निम्न प्रकार से है–

(1) वादी हरजोगिन्द्र सिंह की कब्जा काश्त भूमिः–

चक 21 एमएमके प.न. 94/204 किला नं. 8, 13, 19, 20, 21 प.न. 94/205 किला नं. 14 ता 23, 25

(2) प्रतिवादी सं. 1 धीरा सिंह की कब्जा काश्त भूमिः–

चक 21 एमएमके प.न. 94/206 किला नं. 1, 2, 3/.1265 पश्चिम।

(3) प्रतिवादी सं. 2 रामसिंह की कब्जा काश्त भूमिः–

चक 21 एमएमके प.न. 94/206 किला नं. 10 का 0.253 है.।

(4) प्रतिवादी सं. 3 सतनाम सिंह पुत्र जीत सिंह की कब्जा काश्त भूमिः–

चक 21 एमएमके प.न. 94/206 किला नं. 11 का 0.253 है.।

(5) प्रतिवादी सं. 7 सतनाम सिंह पुत्र जंगसिंह की कब्जा काश्त भूमिः–

चक 21 एमएमके प.न. 94/206 किला नं. 3/0.1265, 4, 5

(6) प्रतिवादी सं. 4, 5, 6, अशोक कुमार 2/5 हि. दयाराम 2/5 हि. इन्द्रा देवी 2/10 हिस्सा की कब्जा काश्त भूमिः–

चक 21 एमएमके प.न. 95/205 किला नं. 19, 20, 21, 22 प.न. 94/205 किला नं. 24 प.न. 94/204 किला नं. 7 का 0.253 है.।

यह है कि इन्द्रसिंह पुत्र करमसिंह फौत हो चुके है जिसका एक कानूनी वारिस बलदेव सिंह था जो फौत हो चुका है जिसके एकमात्र वारिस प्रतिवादी सं. 8 गुरमीत सिंह है इसी प्रकार महेन्द्र सिंह पुत्र करम सिंह फौत हो चुका है जिसके चार लडके भूरासिंह, भगवान सिंह बलकरण सिंह व गुरचरणसिंह भी फौत हो चुके है जिनके कानूनी वारिस प्रतिवादी सं. 9 ता 16 है। मेवासिंह पुत्र हाकम सिंह भी फौत हो चुका है जिसके वारिसान प्रतिवादी सं. 17, 18 है इसी प्रकार से जोगेन्द्र सिंह फौत हो चुका है जिसके कानूनी वारिस प्रतिवादी सं. 15, 16 है इनके अन्य कोई वारिस हो और दावा हाजा में पक्षकार बनना चाहे तो मुझ वादी को कोई उजर एतराज नहीं होगा।

यह है कि वादी ने प्रतिवादीगण को कई दफा कहा कि वे प्रश्नगत भूमि का घराघरू बंटवारा अनुसार विभाजन करवा ले तो पहले तो टालमटोल करते रहे बाद में स्पष्ट इनकार हो गये बस यही बिनाय दावा है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Divya
Date: 2024.04.05 19:33:50 IST
Reason: Self Attested

≈ वाद–पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया तलबी प्रतिवादीगण जारी की गई प्रतिवादी सं. 1 ता 18 ओर से अधिवक्ता श्री [illegible] सिंह ने वकालतनामा पेश किया। वादी एवं प्रतिवादी सं. 1 ता 7 ने राजीनामा व प्रतिवादी सं. [illegible] ता 18 ने जवाब इकबाल दावा पेश किया जो शामिल पत्रावली किए गये। पत्रावली नियत कर बहस पर रखी गई।

≅ पत्रावली का अवलोकन किया गया उपलब्ध दस्तावेजों का अध्ययन किया गया। बहस उभय पक्ष सुनी गई। दौराने बहस उभय पक्ष ने मुताबिक राजीनामा वाद पत्र डिक्री किये जाने का निवेदन किया। वादी व प्रतिवादीगण के मध्य राजीनामा पेश होने के कारण वाद पत्र में तनकीयात विरचित किए जाने की आवश्कता नहीं है। अतः वाद पत्र मुताबिक राजीनामा के स्वीकार किया जाकर अंतिम डिक्री किया जाना उचित प्रतीत होता है।

—::क्रियात्मक आदेश::—

अतः वाद वादी मुताबिक राजीनामा के निम्न प्रकार से अंतिम डिक्री किया जाता है किः— **(क) वादी हरजोगिन्द्र सिंह की कब्जा काश्त भूमिः**— चक 21 एमएमके प.न. 94/204 किला नं. 8, 13, 19, 20, 21 प.न. 94/205 किला नं. 14 ता 23, 25 **(ख) प्रतिवादी सं. 1 धीरा सिंह की कब्जा काश्त भूमिः—** चक 21 एमएमके प.न. 94/206 किला नं. 1, 2, 3/.1265 पश्चिम **(ग) प्रतिवादी सं. 2 रामसिंह की कब्जा काश्त भूमिः**— चक 21 एमएमके प.न. 94/206 किला नं. 10 **(घ) प्रतिवादी सं. 3 सतनाम सिंह पुत्र जीत सिंह की कब्जा काश्त भूमिः—** चक 21 एमएमके प.न. 94/206 किला नं. 11 **(ड़) प्रतिवादी सं. 7 सतनाम सिंह पुत्र जंगसिंह की कब्जा काश्त भूमिः**— चक 21 एमएमके प.न. 94/206 किला नं. 3/0.1265, 4, 5 **(च) प्रतिवादी सं. 4, 5, 6, अशोक कुमार 2/5 हि. दयाराम 2/5 हि. इन्द्रा देवी 2/10 हिस्सा की कब्जा काश्त भूमिः—** चक 21 एमएमके प.न. 95/205 किला नं. 19, 20, 21, 22 प.न. 94/205 किला नं. 24 प.न. 94/204 मु.न. 9 किला नं. 7 का 0.253 है.। उक्त दफा (क) ता (च) अनुसार पक्षकारान को खातेदार काश्तकार घोषित कर खाता अलग अलग कर रकमराज अलग कायमी के आदेश दिए जाते है। मुताबिक राजीनामा चक 21 एमएमके के खाता सं. 10/7 में खातेदार इन्द्रसिंह, जोगेन्द्र सिंह, मेवासिंह व महेन्द्र सिंह का नाम कलमजन करने के आदेश दिए जाते है। पर्चा डिक्री अलग से जारी हो। राजीनामा निर्णय का अभिन्न अंग रहेगा।

तहसीलदार हनुमानगढ को आदेशित किया जाता है कि यदि कोई स्थगन अथवा न्यायिक विवाद आदि नहीं हो तो, उक्त आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमलदरामदी कर लगाम कायम किया जावें। भूमि की किस्म (यथा नहरी/बारानी/गै.मु./गैर खातेदारी/आराजीराज आदि) पूर्वानुसार यथावत रखी जावे। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करेंगे। पत्रावली फैसल शुमार कर नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक ..... को मेरे हस्ताक्षर व कार्यालय मुद्रा से लिखवाया जाकर, खुले इजलास सुनाया गया।

नोटः— प्रश्नगत रकबा रहन हो तो, रहन मुक्त होने के उपरांत ही निर्णय की पालना की जावे।

(दिव्या) RAS
सहायक कलक्टर
एवं उपखण्ड अधिकारी
हनुमानगढ

Signature Not Verified

Digitally signed by Divya
Date: 2024.04.05 19:33:50 IST
Reason: SelfAttested

डिक्री बमुकदमें ईब्तदाई
अ. आदेश 20 नियम 6–7 व्या.प्रक्रियां संहिता

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारीः– **(दिव्या) RAS**

प्रकरण संख्याः–39 / 2024

हरजोगिन्द्र सिंह पुत्र हरदेव सिंह जाति जटसिख निवासी मानुका तहसील व जिला हनुमानगढ (राज.)

–: वादी

बनाम्

1 धीरा पुत्र महेन्द्र सिंह जाति जटसिख निवासी मानुका तहसील व जिला हनुमानगढ़।
2. रामसिंह पुत्र जीतसिंह जाति जटसिख निवासी हिरणावाली तहसील व जिला हनुमानगढ़।
3 सतनाम सिंह पुत्र जीत सिंह जाति जटसिख निवासी हिरणावाली तहसील व जिला हनुमानगढ़।
4 अशोक कुमार पुत्र लाधूराम जाति जाट निवासी मानुका तहसील व जिला हनुमानगढ़।
5 दयाराम पुत्र पुत्र लाधूराम जाति जाट निवासी मानुका तहसील व जिला हनुमानगढ़।
6 इन्द्रादेवी पुत्री लाधूराम जाति जाट निवासी मानुका तहसील व जिला हनुमानगढ़।
7 सतनाम सिंह पुत्र जंगसिंह जाति जटसिख निवासी मानुका तहसील व जिला हनुमानगढ़।
8 गुरमीत सिंह पुत्र बलदेव सिंह पुत्र इन्द्र सिंह जाति जटसिख निवासी घंटियावाली तहसील अबोहर जिला फाजिल्का पंजाब।
9 गुरदीप सिंह पुत्र भूरासिंह पुत्र महेन्द्र सिंह जाति जटसिख निवासी 22 एमएमके हिरनावाली तहसील व जिला हनुमानगढ।
10 मलकीत सिंह पुत्र भूरासिंह पुत्र महेन्द्र सिंह जाति जटसिख निवासी 22 एमएमके हिरनावाली तहसील व जिला हनुमानगढ।
11 रमेश सिंह पुत्र भूरासिंह पुत्र महेन्द्र सिंह जाति जटसिख निवासी 22 एमएमके हिरनावाली तहसील व जिला हनुमानगढ।
12 जगसीर सिंह पुत्र बलकरण सिंह पुत्र महेन्द्र सिंह जाति जटसिख निवासी 22 एमएमके हिरनावाली तहसील व जिला हनुमानगढ।
13 स्वर्ण सिंह पुत्र बलकरण सिंह पुत्र महेन्द्र सिंह जाति जटसिख निवासी 22 एमएमके हिरनावाली तहसील व जिला हनुमानगढ।
14 गुरमीत सिंह पुत्र भगवान सिंह पुत्र महेन्द्र सिंह जाति जटसिख निवासी 22 एमएमके हिरनावाली तहसील व जिला हनुमानगढ।
15 तरसेम सिंह पुत्र गुरचरण सिंह पुत्र महेन्द्र सिंह जाति जटसिख निवासी 22 एमएमके हिरनावाली तहसील व जिला हनुमानगढ।
16 अंग्रेज सिंह पुत्र गुरचरण सिंह पुत्र महेन्द्र सिंह जाति जटसिख निवासी 22 एमएमके हिरनावाली तहसील व जिला हनुमानगढ।
17 सुखपाल सिंह पुत्र मेवासिंह जाति जटसिख निवासी मलूकपुरा तहसील अबोहर जिला फाजिल्का पंजाब।
18 गुरदास सिंह पुत्र मेवासिंह जाति जटसिख निवासी मलूकपुरा तहसील अबोहर जिला फाजिल्का पंजाब।
19 ऑबीसी बैंक शाखा धोलीपाल तहसील व जिला हनुमानगढ।
20 तहसीलदार (राजस्व) हनुमानगढ।

– प्रतिवादीगण

Signature Not Verified
Digitally signed by Divya
Date: 2024.04.05 19:33:50 IST
Reason: SelfAttested

वादपत्र अन्तर्गत धाराः– 88, 53 आर.टी.ए.

यह राजस्व मुकद्मा आज मुझ दिव्या [illegible] के समक्ष वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे बहाजरी श्री सुरेन्द्र [illegible] वकील वादी मिन जामिन मुदई श्री भीम खिलेरी वकील प्रतिवादी सं0 1 ता 18 मिन जानिब मुदाय पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती हैः–**(क) वादी हरजोगिन्द्र सिंह की कब्जा काश्त भूमिः**– चक 21 एमएमके प.न.

94/204 किला नं. 8, 13, 19, 20, 21 प.न. 94/205 किला नं. 14 ता 23, 25 **(ख) प्रतिवादी सं. 1 धीरा सिंह की कब्जा काश्त भूमिः—** चक 21 एमएमके प.न. 94/206 किला नं. 1, 2, 3/.1265 पश्चिम **(ग) प्रतिवादी सं. 2 रामसिंह की कब्जा काश्त भूमिः—** चक 21 एमएमके प.न. 94/206 किला नं. 10 **(घ) प्रतिवादी सं. 3 सतनाम सिंह पुत्र जीत सिंह की कब्जा काश्त भूमिः—** चक 21 एमएमके प.न. 94/206 किला नं. 11 **(ड़) प्रतिवादी सं. 7 सतनाम सिंह पुत्र जंगसिंह की कब्जा काश्त भूमिः—** चक 21 एमएमके प.न. 94/206 किला नं. 3/0.1265, 4, 5 **(च) प्रतिवादी सं. 4, 5, 6, अशोक कुमार 2/5 हि. दयाराम 2/5 हि. इन्द्रा देवी 2/10 हिस्सा की कब्जा काश्त भूमिः—** चक 21 एमएमके प.न. 95/205 किला नं. 19, 20, 21, 22 प. न. 94/205 किला नं. 24 प.न. 94/204 मु.न. 9 किला नं. 7 का 0.253 है.। उक्त दफा (क) ता (च) अनुसार पक्षकारान को खातेदार काश्तकार घोषित कर खाता अलग अलग कर रकमराज अलग कायमी के आदेश दिए जाते है। मुताबिक राजीनामा चक 21 एमएमके के खाता सं. 10/7 में खातेदार इन्द्रसिंह, जोगेन्द्र सिंह, मेवासिंह व महेन्द्र सिंह का नाम कलमजन करने के आदेश दिए जाते है। राजीनामा डिक्री का अभिन्न अंग रहेगा।

तहसीलदार हनुमानगढ को आदेशित किया जाता है कि यदि कोई स्थगन/न्यायिक विवाद आदि नहीं हो तो उक्त आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमलदरामदी कर लगाम कायम किया जावें। भूमि की किस्म (यथा नहरी/बारानी/गै.मु./गैर खातेदारी/आराजीराज आदि) पूर्वानुसार यथावत रखी जावे। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करेंगे।

निज **xxx** नल **xxx** मुब्लिक **xxx** निल **xxx** बाबत् **xxx** निल **xxx** खर्चा मुकदमें के मय शूद व शरह फीसदी सालाना आज की तारीख वसूलयाबी तारीख तक **xxx** अदा करें।

बसब्त मेरे दस्तख्त एवं मुहर अदालत से आज दिनांक ..... को जारी किया गया।

नोटः— डिक्रित आराजी रहन हो तो, रहन मुक्त होने के पश्चात् ही डिक्री का निष्पादन किया जावें ।

(दिव्या) RAS
सहायक कलक्टर
एवं उपखण्ड अधिकारी
हनुमानगढ

Signature Not Verified

Digitally signed by Divya
Date: 2024.04.05 19:33:50 IST
Reason: SelfAttested